न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 103 / 2025

उनवान

1. सुश्री देवगिरी पुत्री श्री बालबापू नागा जाति गिरी नि0 छोबावडी सगसजी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.) —प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पिता रूपलाल गुर्जर नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. बालूराम पिता रूपलाल गुर्जर नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. भैरू पिता गोपी गुर्जर नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्राजू पिता लाल कुमावत नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. ठकबाल पिता अमीरदीन मुसलमान नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. बाबू पिता अमीरदीन मुसलमान नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 15–07–2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.06.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 1970 की आराजी नम्बर 4934 / 1378 रकबा 0.5058 हैक्टयर, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.06.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या **01 लगायत 07** बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jhanwar Lal
Date: 2025.10.27 17:14:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को [illegible] जाता है कि **ग्राम आमलीगढ पटवार हल्का आमलीगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप [illegible]ढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 340 की आराजी नम्बर [illegible] आराजी नम्बर 530 / 1 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 53[illegible] 0.4[illegible] कुल किता 03 रकबा 1.2645है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम [illegible]6 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000 / –रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें। आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ